उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

संख्या- 96/2018/ 4204/अडतीस-5-2018-8 बजट/2018टी0सी0-।।।

लखनऊः दिनांक 10 नवम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुमन्य केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के शासनादेश संख्या- 82/2018/3914/अड्तीस-5-2018-8 बजट/2018टी0सी0-।।, दिनांक 20 नवम्बर, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रू0 542.06 लाख (रूपये पॉच करोड बयालीस लाख छः हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रू0 31500.00 लाख का बजटीय प्राविधान है, जिसके सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अब तक कुल रू0 30957.944 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के उपरान्त रू0 542.056 लाख की धनराशि अवशेष है। उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 20 नवम्बर, 2018 द्वारा रू0 542.056 लाख (रूपये पॉच करोड बयालीस लाख पॉच हजार छः सौ मात्र) के स्थान पर रू0 542.06 लाख (रूपये पॉच करोड बयालीस लाख छः हजार मात्र) त्रुटिवश टंकित हो गया है।

3- अतः उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या-- 82/2018/3914/अड्तीस-5-2018-8 बजट/2018टी0सी0-।।, दिनांक 20 नवम्बर, 2018 के प्रस्तर-1 के कालम-5 में अंकित धनराशि रू0 542.06 लाख (रूपये पॉच करोड बयालीस लाख छः हजार मात्र) के स्थान पर **रू0 542.056 लाख (रूपये पॉच करोड बयालीस लाख पॉच हजार छः सौ मात्र)** पढा जाय।

4- शासनादेश संख्या-82/2018/3914/अड्तीस-5-2018-8 बजट/2018टी0सी0-।।, दिनांक 20 नवम्बर, 2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय एवं उक्त शासनादेश की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

(रमेश चन्द्र मिश्र)

अनु सचिव।

संख्याः 96 /2018/ 4204(1)/अड्तीस-5-2018-2018 टी0सी0-।।।, तददिनांक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, चतुर्थ तल पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड़, नई दिल्ली को उनके स्वीकृति आदेश आदेश संख्या- डब्लू -11020/196/2015-वाटर-। /44, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018, के क्रम में।
(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
(3) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, प्रयागराज।
(4) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(7) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन, लखनऊ।
(9) नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
(11) विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र मिश्र)

अनु सचिव।